

प्रेषक,

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास,

पशु पालन विभाग,

लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,

कानपुर नगर/कानपुरदेहात/कन्नौज/औरैया/इटावा/फर्रुखाबाद/मुजफ्फर नगर/

शामली/सहारनपुर/आजमगढ़/मऊ/झांसी/जालौन/चित्रकूट/बांदा/हमीरपुर/

महोबा/बरेली/पीलीभीत/बदायूँ/अलीगढ़/एटा/फैजाबाद/अमेठी/हापुड़/बुलन्द

शहर/गौतमबुद्धनगर/गाजियाबाद/मेरठ/फतेहपुर/कौशाम्बी/हरदोई/उन्नाव/

मैनपुरी/आगरा/मथुरा/फिरोजाबाद/जौनपुर/सोनभद्र/रामपुर/अमरोहा/देवरिया/

कुशीनगर/महराजगंज।

पत्रांक 1097/प-2/11।एफ (417)/2014-15

दिनांक 30-10-2015

विषय:-राष्ट्रीय कृषि विकास की उपयोजना "अतिरिक्त चारा उत्पादन कार्यक्रम" के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय पत्र संख्या-1091/प-2/11।एफ (417)/2014-15 दिनांक-28.10.15 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास की "अतिरिक्त चारा उत्पादन कार्यक्रम" के अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। योजना अन्तर्गत कार्यालय के पत्र सं0 215/बजट/29/(5)/अनु0-11/01/2015-16 दिनांक 20.10.2015 द्वारा बजट का आवंटन भी किया जा चुका है। पत्र संख्या-1091/प-2/11।एफ (417)/2014-15 दिनांक- 28.10.15 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के साथ निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए योजना का सफल क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित किया जाय-

1-कार्यक्रम संचालित करने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं01058/प-2/11।एफ (417)/2014-15 दिनांक 14.10.2015 द्वारा राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों से प्रमाणित जई चारा बीज का आवंटन करके उपलब्ध कराया जा रहा है। जई बीज का भुगतान सम्बन्धित प्रक्षेत्र प्रबन्धकों को उपलब्ध बजट से तत्काल किया जाय।

2- बरसीम चारा बीज कृषि विश्वविद्यालय, कृषि प्रक्षेत्रों एवं राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों, आई.जी. एफ.आर.झांसी, सरकारी व सहकारी संस्थाओं एवं अधिकृत बीज विक्रेताओं से कय कर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार पशुपालकों को उपलब्ध कराया जाय।

बरसीम बीज का भुगतान उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत ही किया जाय। अवशेष धनराशि से यूरिया इफको / पीसीएफ अथवा अन्य सहकारी संस्था से करके दिशा निर्देश के अनुसार पशुपालकों को उपलब्ध कराया जाय।

- 3- यदि लाभार्थियों का चयन नहीं किया गया है, तो लाभार्थियों का चयन तत्काल करके पत्र सं० 1091 दिनांक 28.10.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार योजना क्रियान्वित की जाय।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(डा० राजेश बाबू),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

- पत्रांक /प-2/।।।एफ (417)/2014-15 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग।
 - 2- वित्त नियन्त्रक, मुख्यालय।
 - 3- नोडल अधिकारी, आर०के०वी०वाई०, कृषि भवन, लखनऊ।
 - 4- कृषि निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 5- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा० राजेश बाबू),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।